भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 722

दिनांक 24 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

घाटल का मास्टर प्लान

722. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने घाटल मास्टर प्लान के वित्तपोषण के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक और अन्य एजेंसियों ने बाह्य सहायता के संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना के लिए बजट में प्रावधान/अनुमोदन न करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग): जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति द्वारा 6 जून, 2018 को आयोजित अपनी 136वीं बैठक में पश्चिम बंगाल की एक बाढ़ प्रबंधन परियोजना, अर्थात् पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर और पूर्व मेदिनीपुर जिलों में घाटल मास्टर प्लान के चरण-I के कार्यों पर विचार किया गया और इसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर 1238.95 करोड़ रुपए (मूल्य स्तर 2017) की अनुमानित लागत पर स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की निवेश मंजूरी समिति की दिनांक 10.06.2022 को हुई 17वीं बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर, परियोजना को निवेश मंजूरी प्रदान की गई है।

बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित किया जाता हैं। केंद्र सरकार बाढ़ प्रबंधन हेतु गंभीर क्षेत्रों में तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को संपूरित करती है। घाटल मास्टर प्लान को वर्ष 2021-26 के दौरान बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) घटक के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें नई महत्वपूर्ण बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को शामिल करने के लिए 300 करोड़ रुपये का सीमित परिव्यय है और यह शामिल किए जाने के मानदंडों को भी पूरा नहीं करता है, अर्थात, 'केवल उन्हीं राज्यों की परियोजनाओं को शामिल किया जा सकता है जिन्होंने बाढ़ मैदान ज़ोनिंग (एफपीजेड) को या तो किसी कानून के माध्यम से या किसी उपयुक्त कार्यकारी आदेश के माध्यम से लागू किया हो। पश्चिम बंगाल सरकार को सलाह दी गई है कि यदि वे चाहें, तो बाह्य सहायता प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगा सकते हैं।

*****